A-4

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 152/2019

सत्यवीर पुत्र श्री जालूराम, जाति जाट, निवासी बेरला, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरजगढ।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.02.2017 द्वारा अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सत्यवीर, मु0न0 113/16 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

––

उपस्थित–

1. श्री अब्बास भाटी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक –रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 19.11.2020

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 23.02.2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है:– अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही किया है। तथाकथित खसरा नम्बर मे अपीलान्ट के लेटरीन–बाथरूम लगभग 40–50 वर्षो से बने हुए है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट ने उक्त जगह पर काफी मेहनत करके समतल करके अपने निवास के काम मे ले रहा है। अपीलान्ट को सरकार के द्वारा बिजली, पानी का कनेक्शन दे रखा है जिसका उपयोग उपभोग अपीलान्ट काफी वर्षो से कर रहा है। अदालत मात के द्वारा पटवारी हल्का बेरला के द्वारा खसरा नम्बर 590/393 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु0 रास्ते के बारे मे जांच करवाई गई थी जिसमे पटवारी हल्का बेरला के द्वारा अपनी मौके की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि अपीलान्ट के द्वारा आवागमन हेतु शौचालय, स्नानघर के उत्तर दिशा मे रास्ता छोड दिया गया है और मौके पर उत्तर दिशा मे आवागमन हेतु रास्ता है। पटवारी

हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बावजूद अदालत मतहत ने अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट माना है कि अपीलान्ट के द्वारा रास्ता छोड रखा है। अपीलान्ट के स्नानघर, शौचालय काफी पुराने बने हुए है। राजस्व एजेन्सी ने अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि मे से नया रास्ता खसरा नम्बर 590/393 रकबा 0.06 हैक्टर मे कायम किया गया है जबकि नया रास्ता कायम करने से पूर्व ही उक्त स्थान पर अपीलान्ट के शौचालय व स्नानघर बने हुए थे और अपीलान्ट ने उक्त रास्ता शौचालय व स्नानघर के पहले से चालू कर रखा है जिसकी ताईद मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी साबित है कि अपीलान्ट ने कहीं भी कोई रास्ता अवरूद्व नही कर रखा है जो रास्ता जिस मियाल से निकलता है उसी रास्ता मे मिल जाता है और आवागमन मे किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही हो रही है और मौके पर खसरा नम्बर 590/393 कागजी रास्ते के अनुसार चालू है। मात्र राजनैतिक द्वेष की भावना मे आकर अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 23.02.2017 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील मे वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नही किया है। तथाकथित खसरा नम्बर मे अपीलान्ट के लेटरीन–बाथरूम लगभग 40–50 वर्षो से बने हुए है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट को राज्य सरकार के द्वारा बिजली, पानी का कनेक्शन दे रखा है जिसका उपयोग उपभोग अपीलान्ट काफी वर्षो से कर रहा है। अदालत मात के द्वारा पटवारी हल्का बेरला के द्वारा उक्त खसरा नम्बर 590/393 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु0 रास्ते के बारे मे जांच करवाई गई थी जिसमे पटवारी हल्का बेरला के द्वारा अपनी मौके की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.08.2019 मे स्पष्ट दर्ज किया है कि अपीलान्ट के द्वारा आवागमन हेतु शौचालय, स्नानघर के उत्तर दिशा मे रास्ता छोड दिया गया है मौक पर उत्तर दिशा मे आवागमन हेतु रास्ता है। बहस के दौरान वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज सूची किता 4 पेश की जिसके द्वारा नकल जमाबन्दी, नकल नक्शासीट, फर्द मौका ग्राम बेरला, मौके की फोटो पेश की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ दिनांक 23.02.2017 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अहम बिन्दु यह है कि ग्राम बेरला स्थित भूमि खसरा नम्बर 590/393 कुल रकबा [illegible] हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा रकबा 0.03 हैक्टर भूमि पर शौचालय तथा बाथरूम बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया गया है। जिसके संबंध अपीलान्ट का कथन है कि उक्त शौचालय तथा बाथरूम की उत्तर दिशा में रास्ता आवागमन हेतु चालु है, जिसका फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 07.12.2019 साफ – साफ उल्लेख है। परन्तु अपीलान्ट ने इस बिन्दु से कन्ही इन्कार नहीं किया है कि उसका भूमि खसरा नम्बर 590/393 किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर अतिक्रमण नहीं है। न्यायालय अपीलान्ट के इस बिन्दु को स्वीकार करता है कि मौके पर रास्ता चालु है, परन्तु कानूनन प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति के कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। विधि के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/2[illegible]

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं